न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी — राकेश कुमार गुप्ता (R.A.S.)
राजस्व वाद संख्या — 3 / 2022

उनवान

1. मुकना पुत्र श्यामा जाति मेहरात निवासी ग्राम भीमपुरा नसीराबाद
— प्रार्थीगण — जरिये अधिवक्ता श्री सीतााराम रावत

बनाम

1. अलादीन पुत्र लाला
2. अलानूर पुत्र सुबान
3. चकला पुत्री अजमाल
4. झमकू पुत्री सुबान
5. ताजमोहम्मद पुत्र रहीमा
6. नाथी पुत्री अजमाल
7. फरीदा पुत्री सुबान
8. बिस्मिल्ला पत्नि सुबान
9. आमना पत्नि मगला
10. हमीद
11. हुसैन
12. हबीब पुत्र मगला
13. मुमताज पुत्री अजमाल
14. मुस्ताक पुत्र सुबान
15. मस्तान पुत्र अजमाल
16. महफूल पुत्री रहीमा
17. रमजान पुत्र अहमद
18. रेशमा पुत्री सुबान
19. शाहबूदीन पुत्र रहीमा
20. शान्ति पुत्री सुबान
21. सत्तार पुत्र अहमद
22. सद्दीक पुत्र सुबान
23. सन्तोष पुत्री सुबान
24. सुलेमान पुत्र अजमाल
25. साबिर पुत्र सुबान समस्त जातिगण मेहरात निवासी भीमपुरा
26. दी मैनेजर स्टेट बैंक आफॅ इंडिया शाखा मांगलियावास जिला अजमेर
27. राजस्थान सरकार तहसीलदार नसीराबाद

— अप्रार्थीगण :— 1, 5, [illegible] 10, 14 [illegible] 21 [illegible] 25 जरिये अधिवक्ता
श्री [illegible]
शेष [illegible]
27 जरिये राजा० पत्रकार

—2

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:42:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

आदेश :- दिनांक - 13.9.22

प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम भीमुपरा के खसरा नम्बर 1742 रकबा 0.14, 1743 रकबा 0.14, 1744 रकबा 0.20, 1745 रकबा 0.20 की आराजी प्रार्थी मुकना प्रार्थी के भाई सोहन व अलारखा पुत्रगण न्यामा की खातेदारी है। प्रार्थी के भाई सोहन व अलारखा की मृत्यु हो गयी है जिसका वारिस प्रार्थी होने से वर्तमान राजस्व रेकार्ड में खातेदार दर्ज है। हाल खसरा नम्बर की खातेदारी की है। हाल खसरा नम्बर 1746 चाह का संयुक्त खातेदार दर्ज है। आवेदनकर्ता अपनी उपरोक्त आराजी में मुख्य रास्ता हाल खसरा नम्बर 2082 से होकर हाल खसरा नम्बर 1781 रकबा 0.10, 1782 रकबा 0.08, 1783 रकबा 0.07 में से आवागमन करते है। जो अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थी की खातेदारी आराजी पर आवागमन हेतु राजस्व अभिलेख व मौके पर कोई रास्ता विधमान नही है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी को उक्त आराजी पर आवागमन हेतु 30 फिट चौडा रास्ता माननीय न्यायालय द्वारा प्रदान किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार नसीराबाद से मौका रिपोर्ट तलब की गयी।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने जबाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी ने खसरा नम्बर 1746 चाह पर जाने हेतु रास्ता चाहा है। उक्त खसरा संयुक्त खातेदारी का है। उक्त चाह के आगे प्रार्थी ने 2 फिट उंची दीवार खेंचकर उसके आगे पक्की व कच्ची पत्थर की दीवार बनाकर कांटे की बाड लगा दी है तथा अप्रार्थी को चाह पर जाने हेतु बन्द कर रखा है साथ ही चाह को अपनी भूमि में मिला लिया है। जिस कारण अप्रार्थी चाह के अधिकार से वंचित हो गये है। खसरा नम्बर 1742, 1743, 1744, 1745 का खातेदार प्रार्थी है। प्रार्थी खसरा संख्या 2082 से होकर खसरा नम्बर 1781, 1782, 1783 पर होकर नही जाता है। खसरा संख्या 1784 गै0मु0 खडडा है जो खाता संख्या 1 में दर्ज है। प्रार्थी खसरा नम्बर 1726, 1666/2852 व 1741 में से होकर चाह पर पहुचता है जो निकटतम रास्ता है। प्रार्थी के पास पूर्व में ही रास्ता उपलब्ध होने के कारण प्रार्थी रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

तहसीलदार नसीराबाद द्वारा प्रकरण में रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। उभयपक्ष द्वारा निवेदन किया कि प्रकरण के न्यायिक निस्तारण हेतु न्यायालय द्वारा मौका निरीक्षण किया जावे। इस पर न्यायालय द्वारा स्वयं मौका निरीक्षण किया गया तथा उभयपक्ष की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार की गयी।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण व राज0 पैरोकार के तर्कों पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार हाल खसरा नम्बर 1742 रकबा 0.14, 1743 रकबा 0.14, 1744 रकबा 0.20, 1745 रकबा 0.20 की आराजी प्रार्थी मुकना प्रार्थी के भाई सोहन व अलारखा पुत्रगण न्यामा की खातेदारी [illegible] खसरा नम्बर 1781 रकबा 0.10, 1782 रकबा 0.08, 1783 रकबा 0.07 की आराजी [illegible] की खातेदारी में दर्ज है। तहसीलदार नसीराबाद द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट व न्यायालय द्वारा किये गये मौका निरीक्षण के अनुसार मुख्य रास्ता खसरा नम्बर 2082 [illegible] आराजी के बीच में खसरा नम्बर 1412, 1783 व 1782 स्थित है। खसरा नम्बर 1412 गै0मु0 नाला है

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:42:57 IST
Reason: SelfAttested

—3

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

तथा खसरा नम्बर 1783 व 1782 अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है। उक्त मार्ग प्रार्थी के आवागमन हेतु उपलब्ध बताया गया है तथा मार्ग की प्रार्थी को आत्यतिंक आवश्यकता भी बतायी गयी है। अप्रार्थी ने मौका निरीक्षण के दौरान अवगत कराया कि प्रार्थी की भूमि से लगता हुआ अन्य रास्ता भी है जबकि प्रार्थी ने बताया कि उक्त रास्ते की किस्म नाला है जिस पर मौके पर पानी भरा हुआ है। उक्तानुसार यह तथ्य निर्विवाद है कि प्रार्थी की खातेदारी आराजी पर आवागमन हेतु राजस्व अभिलेख में कोई मार्ग नही है। अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब दावे में तथा मौका निरीक्षण के समय जो मार्ग बताया गया है उसकी किस्म नाला है जिसमें पानी भरना बताया गया है। अप्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी द्वारा चाहे गये मार्ग पर स्थित खसरा नम्बर 1412 की किस्म गै0मु0 नाला है जिस पर से रास्ता नही दिया जा सकता है। किन्तु खसरा नम्बर 1412 व प्रार्थी के खातेदारी आराजी के बीच में अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 1782 व 1783 भी स्थित है। जिसमें से भी प्रार्थी द्वारा रास्ता चाहा गया है। खसरा नम्बर 1412 की किस्म नाला होने के कारण प्रार्थी को उसमें से रास्ता नही दिया जा सकता है किन्तु पानी के प्राकृतिक बहाव को बाधित नही करते हुये उक्त नाले मे से प्रार्थी आवागमन कर सकता है। तथा नाले के बाद स्थित अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी में से प्रार्थी को रास्ता दिये जाने पर प्रार्थी के हितों की पूर्ति हो सकती है। प्रार्थी के पास आवागमन हेतु अन्य कोई मार्ग विधमान नही है तथा प्रार्थी को रास्ते की आत्यतिंक आवयकता भी सिद्व होती है।

अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब में अंकित कथन से प्रार्थना पत्र के तथ्यो का खण्डन नही होता है। धारा 251 ए की मूल अवधारणा खातेदार को अपनी कृषि जोत तक आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध कराने की है।

उक्तानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। ग्राम भीमपुरा के हाल खसरा नम्बर 1782 (20 मीटर लम्बा 6 मीटर चौडा) 120 वर्ग मीटर व हाल खसरा नम्बर 1783 में से (16 मीटर लम्बा 6 मीटर चौडा) 96 वर्ग मीटर रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार नसीराबाद उक्त आराजी के खातेदारों को 22720/ अक्षरे बाईस हजार सात सौ बीस रूपये भूगतान सुनिश्चित कर रास्ते का इन्द्राज राजस्व अभिलेख के सिवायचक खाते में करने की कार्यवाही करावे। खसरा नम्बर 1412 किस्म नाला के प्राकृतिक बहाव को बाधित नही करते हुये आवागमन के रूप में प्रार्थी द्वारा उपयोग किया जा सकता है। पक्षकार खर्चा स्वय वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:42:57 IST
Reason: SelfAttested